नकल घोषणापत्र दि० 30/4/13
रिपोर्ट दि० 15-5-13

जव वि० आकार—पत्र 57
(नियम 172 देखिये)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)।

वाद संख्याः 01/2013 अन्तर्गत धारा—194
ज0वि0अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियॉ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनॉक 15—05—2013 नियत की गयी है। यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनॉक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनॉक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

खेडा गैर अहतमाल गॉव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनॉक को उपस्थित रहेगा।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम —— गॉव— खेडा गैर अहतमाल
परगना— भुम्मा सम्मलहेडा तहसील— जानसठ जिला— मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम,पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकडों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	मौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
गुरबक्श सिह पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्मलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1—क	5म 9म 10 11 12 15/3 42/1 45	0.358है0 4.363है0 0.522है0 0.891है0 0.318है0 11.456है0 5.059है0 2.571है0	319.30	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस—पास के क्षेत्र में नहीं रहता हैं और न ही कभी देखा गया हैं। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनॉकः30.04.2013

प्रतिलिपि :—

1— तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनॉक से पूर्व प्रस्तुत करें।

2— अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनॉक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30.4.2013

श्रीमान जी

ग्राम खेड़ा गैर अहतमाल गैर आबाद होने के कारण ग्राम प्रधान जलालपुर नीला/नया गाँव जो खेड़ा गैर अहतमाल के अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति है को समन मिता नोटिस देकर ता० की सूचना दे दी है। वह रूकमिता नोटिस प्राइमरी स्कूल गेट पर प्रतिस्थापित कर दिया है। वह ग्राम रामराज मे जाकर गुरबक्श सिंह S/o धारासिंह की तलाश करने पर ग्राम वासियो ने बताया कि इस नाम व वल्दियत का कोई व्यक्ति रामराज मे नही रहते है वह हल्का लेखपाल को नोटिस की ता० की सूचना दे दी है।

सुरेन्द्र कुमार
11/5/13

सुरेन्द्र कुमार

श्रीमती पूनम प्रधान

11/5/13

नि०अ०
श्रीमति सुमन देवी

न्यायालय
ज्ञानसठ (मुजफ्फरनगर)

गo कमल सिंह
S/o
शंकर

गo राजाराम S/o नाबहार

की रिपोर्ट सत्य प्रमाणित है।
सुरेन्द्र कुमार

नायब नाजिर
जानसठ (मु नगर)
11/5/13

नकल अपत्र सं० 491 सामान्य
वाद सं० 2/12-13 धारा- 194
सरकार ½ ज्ञानसिंह द्रम - खेडा गैर अहतमाल परगना भुम्मा
नकल घोषणापत्र दि० 30/4/13
तारीख पेशी 15-5-13

(41)

जo विo आकार–पत्र 57

(नियम 172 देखिये)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर) ।

वाद संख्या: 02/2013 अन्तर्गत धारा–194
ज0वि0अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियॉ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनॉक 15–05–2013 नियत की गयी है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनॉक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनॉक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

खेडा गैर अहतमाल गॉव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनॉक को उपस्थित रहेगा ।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम —— गॉव– खेडा गैर अहतमाल
परगना– भुम्मा सम्भलहेडा तहसील– जानसठ जिला– मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम,पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकडों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
ज्ञान सिह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1–क	5म 9म 10 11 12 15/3 42/1 45	0.358है0 4.363है0 0.522है0 0.891है0 0.318है0 11.456है0 5.059है0 2.571है0	319.30	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस–पास के क्षेत्र में नहीं रहता हैं और न ही कभी देखा गया हैं। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनॉक30.04.2013

प्रतिलिपि :–

1– तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरन्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनॉक से पूर्व प्रस्तुत करें।

2– अध्यक्ष / सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनॉक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सत्य प्रतिलिपि

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30-4-2013

श्रीमान जी

ग्राम खेड़ा गैर अहतमाल गैर आबाद होने के कारण ग्राम जलालपुर नीला मे जाकर जलालपुर नीला / नया गाँव / खेड़ा गैर अहतमाल के अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को एक किता नोटिस देकर ता० की सूचना दे दी है / वह एक किता नोटिस जलालपुर नीला के स्कूल गेट पर चस्पा कर दिया है / सुरेन्द्र कुमार 11/5/13

वह श्रीमान जी ग्राम रामराज मे जाकर ज्ञानसिंह S/o अमरसिंह को तलाश किया तो ग्राम वासीयो ने बताया कि इस नाम वलदियत का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज नही रहता है वह हल्का लेखपाल को नोटिस की ता० की सूचना दे दी है।

सुरेन्द्र कुमार

नि०अ०
श्रीमति सुखवीरी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जलालपुर नीला
वि. ख. जानसठ (मु.नगर)

11/5/13
गु० अमरसिंह
S/o
शंकर

गु० राजाराम S/o नौबहार

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
न्यायालय
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

श्रीमान जी
श्री सुरेन्द्र कुमार तामीली
की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नायब नाज़िर
जानसठ (मु नगर)
15/5/13

नकल प्राप्त सं० 492 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ मुजफ्फरनगर
वाद सं० 3/2013 धारा 192 उ०प्र०

नकल घोषणा पत्र
दिनांक 30/4/13

सरकार बनाम हरजीतसिंह आदि

ज0 वि0 आकार–पत्र 57

ग्राम – खेड़ा गैर अहतमाल
परगना – भुम्मा

(नियम 172 देखिये)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)

अन्तर्गत धारा–194

वाद संख्याः 03/2013
ज0वि0अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियॉ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनॉक 15–05–2013 नियत की गयी है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनॉक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनॉक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

खेडा गैर अहतमाल गॉव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनॉक को उपस्थित रहेगा ।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम —— गॉव– खेडा गैर अहतमाल
परगना– भुम्मा सम्भलहेडा तहसील– जानसठ जिला– मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम,पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकडों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
हरजीत सिह पुत्र ठाकुर सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1–क	46म 13/1 14 15/2 46म	14.751है0 1.711है0 4.199है0 3.687है0 8.502है0	182.15 223.50	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस–पास के क्षेत्र में नहीं रहता हैं और न ही कभी देखा गया हैं। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनॉक30.04.2013

प्रतिलिपि :–
1– तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनॉक से पूर्व प्रस्तुत करें।
2– अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनॉक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30.4.2013

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ

Copyed By.
Compared By.
Words.
Date of Application.
Date of Notice.

श्री मान जी

ग्राम खेड़ा गैर आबादी और आबाद होने के कारण ग्राम जलालपुर नीला मे जाकर जलालपुर नीला / नया गाँव / खेड़ा गैर आबादी के अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को एक किता नोटिस देकर ता० की सूचना दे दी है। वह एक किता नोटिस जलालपुर नीला के स्कूल गेट पर प्रकाशित कर दिया है। सुरेन्द्र कुमार

11/3/13

वह श्रीमान जी ग्राम रामराज मे जाकर हरजीत सिंह S/o ठाकुर सिंह को तलाश करने पर ग्रामवासीयो ने बताया कि इस नाम वलदियत का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज में नहीं रहता है। वह हल्का लेखपाल को नोटिस की ता० की सूचना दे दी है।

सुरेन्द्र कुमार

नि० आ०

श्रीमति सुखबीरी देवी

प्रधान [illegible]
ग्राम पं० [illegible] नीला
वि० ख० जानसठ (मु०नगर)

गवाह गo कमल सिंह S/o शंकर

गo राजाराम S/o नौबहार

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय जानसठ (मुजफ्फरनगर)

आदेश जो
श्री [illegible] आबकारी
का रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नायब नाजिर
जानसठ (मु.नगर)
15/3/13

नकल आ0पत्र सं0 ...
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ0 ...
वा0सं0 4/12-13
नकल घोषणापत्र
दि0 30/4/13
सरकार बनाम जसवन्त कौर
धारा-194 ...
नपूर्ति पोट दि0 14-5-13

ज0 वि0 आकार–पत्र 57
(नियम 172 देखिये)

ग्राम- खेड़ा गैर अहतमाल
परगना- ... तह0 ...

(120) (31)

न्यायालय ,उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर) ।

वाद संख्या: 04/2013
ज0वि0अधिनियम
अन्तर्गत धारा–194

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियॉ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनॉक 15–05–2013 नियत की गयी है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनॉक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनॉक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

खेडा गैर अहतमाल गॉव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनॉक को उपस्थित रहेगा ।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गॉव– खेडा गैर अहतमाल
परगना– भुम्मा सम्भलहेडा तहसील– जानसठ जिला– मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम,पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकडों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
जसवन्त कौर पुत्री हरी सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1–क	46म 13/1 14 15/2 46म	14.751है0 1.711है0 4.199है0 3.687है0 8.502है0	182.15 223.50	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस–पास के क्षेत्र में नहीं रहता हैं और न ही कभी देखा गया हैं। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर))

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनॉक 30.04.2013

प्रतिलिपि :–

1– तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनॉक से पूर्व प्रस्तुत करें।

2– अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनॉक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

...ved By Photocopy
...pared By ...
...
...of Application 16-4-14
...of Notice 17-4-14
...of ... 19-4-14

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30.4.2013

सत्य प्रतिलिपि

रीडर
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ

नकल — आमा लम उपजिलाधिकारी जानसठ मु० न० 550
वाद सं० 5/2013 धारा-194 Act
ग्राम — खेड़ा गैर अहतमाल बनाम — उ०प्र० सरकार — विचाराधीन

नकल घोषणापत्र दि० 30.4.13
मुकदमा दि० 14.5.13

जo विo आकार—पत्र 57
(नियम 172 देखिये)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर) ।

अन्तर्गत धारा—194

वाद संख्याः 05/2013
ज0वि0अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियाँ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनॉक 15—05—2013 नियत की गयी है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनॉक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनॉक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

खेडा गैर अहतमाल गॉव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनॉक को उपस्थित रहेगा ।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गॉव— खेडा गैर अहतमाल
परगना— भुम्मा सम्भलहेडा तहसील— जानसठ जिला— मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम,पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकडों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
लाल सिंह पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1—क	5म 9म 10 11 12 15/3 42/1 45	0.358है0 4.363है0 0.522है0 0.891है0 0.318है0 11.456है0 5.059है0 2.571है0	319.30	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस—पास के क्षेत्र में नहीं रहता हैं और न ही कभी देखा गया हैं। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनॉकः30.04.2013

प्रतिलिपि :—

1— तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनॉक से पूर्व प्रस्तुत करें।

2— अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनॉक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30.4.2013

सत्य प्रतिलिपि

Copyed By Photo copy
Compared By
Words 200
Date of Application 16-4-14
Date of Notice 17-4-14

श्रीमान जी

ग्राम खेडा गैर अहतमाल गैर आबाद होने के कारण ग्राम जलालपुर नीला मे जाकर जलालपुर नीला / नया गाँव / खेडा गैर अहतमाल के अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को एक किता नोटिस देकर तामीला सूचना दे दी है / वह एक किता नोटिस प्रतिनरी स्कूल गेट पर प्रतिस्थापित कर दिया है। सुरेन्द्रकुमार 11/5/13

वह श्रीमान जी ग्राम रामराज मे जाकर लालसिंह S/o धारासिंह को तलाश करने पर ग्राम वासीयो ने बताया कि इस नाम वलदियत का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज मे नही रहता है / वह हल्का लेखपाल को नोटिस की तामीला सूचना दे दी /

सुरेन्द्रकुमार

प्र० अ०
श्रीमति सुखवती देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जलालपुर नीला
वि. ख. जानसठ (मु.नगर)

सूचना प्राप्त
11/5/13

गु० कमलसिंह S/o शंकर

गु० राजाराम S/o बिहारी

न्यायालय
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

श्रीमान जी
श्री सुरेन्द्र कुमार चपरासी
की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नायब नाजिर
जानसठ (मु नगर)
15/5/13

नकल आवेदन सं० 595 सामान्य
न्यायालय उपजिलाधिकारी जानसठ
वाद सं० 6/1213 धारा-194 ZA Act 552
सरकार बनाम गुरनाम सिंह ग्राम- खेड़ा गैर अहतमाल परगना-
नकल घोषणापत्र दि० 30.4.13
सर्टिफाइड दि० 15.5.13

ज0 वि0 आकार—पत्र 57
(नियम 172 देखिये)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर) ।

वाद संख्याः 06/2013 — अन्तर्गत धारा—194
ज0वि0अधिनियम

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतंदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियॉ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनॉक 15—05—2013 नियत की गयी है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनॉक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनॉक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

खेडा गैर अहतमाल गॉव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनॉक को उपस्थित रहेगा ।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गॉव— खेडा गैर अहतमाल
परगना— भुम्मा सम्भलहेडा तहसील— जानसठ जिला— मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम,पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकडों या प्रामाणिक बीघों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
गुरनाम सिंह पुत्र करनाम सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1—क	46म 13/1 14 15/2 46म	14.751है0 1.711है0 4.199है0 3.687है0 8.502है0	182.15 223.50	खातेदार के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस—पास के क्षेत्र में नहीं रहता हैं और न ही कभी देखा गया हैं। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनॉक 30.04.2013

प्रतिलिपि :—

1— तहसीलदार, जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनॉक से पूर्व प्रस्तुत करें।

2— अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनॉक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30-4-2013

सत्य प्रतिलिपि

Copyed By Photo copy
Compared By
Words 200/100 300
Date of presentation 16.4.14
[illegible]

श्रीमान जी

ग्राम खेड़ा गैर अहतमाल गैर आबाद होने के कारण ग्राम जलालपुर नीला में जाकर जलालपुर नीला / नया गाँव / खेड़ा गैर अहतमाल के अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को एक किता नोटिस देकर तामील की सूचना दे दी है व एक किता नोटिस स्कूल गेट पर चस्पा कर दिया है।
वह श्रीमान जी ग्राम रामराज में जाकर गुरनाम सिंह S/o हरनाम को तलाश करने पर ग्रामवासीयों ने बताया कि इस नाम वलदियत का कोई व्यक्ति ग्राम रामराज में नहीं रहता है वह हल्का लेखपाल को नोटिस की गा० की सूचना दे दी है।

सुरेन्द्र कुमार 11/5/13

सुरेन्द्र कुमार

नि० अ०
श्रीमति सुखकौरी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत जलालपुर नीला
वि० ख० ... (मु०नगर)

प्राप्त
सूचना प्राप्त की
11/5/13

गा० कमल सिंह S/o शंकर

गा० राजाराम S/o ...

न्यायालय उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट जानसठ (मुजफ्फरनगर)

श्रीमान जी
श्री सुरेन्द्र कुमार अमीन
की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नायब नाजिर
जानसठ (मु० नगर)
15/5/13

जO विO आकार--पत्र 57

(नियम 172 देखिये)

न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर)।

वाद संख्या: 07 /2013

जOविOअधिनियम

अन्तर्गत धारा--194

घोषणा पत्र

हुसैनपुर मण्डल की गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल ने 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 194 के अधीन नीचे वर्णित खाते के विषय में खातेदारों के अधिकारों की समाप्ति (extinction) के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना की है, अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आपत्तियॉ प्रस्तुत करने और उनकी तथा उनके समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की, यदि कोई प्रस्तुत किया जाय, सुनवाई करने के लिए दिनॉक 15-05-2013 नियत की गयी है । यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करना चाहे तो उक्त दिनॉक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें और ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें जो वह प्रस्तुत करना चाहता हो।

गॉव सभा खेडा गैर अहतमाल का प्रतिनिधि भी उक्त दिनॉक को उपस्थित होगा और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

खेडा गैर अहतमाल गॉव का लेखपाल भी खाते से सम्बद्ध ऐसे सभी अभिलेखों सहित जो उसकी अभिरक्षा में हो उक्त दिनॉक को उपस्थित रहेगा ।

खाते का वर्णन

थोक या पट्टी का नाम — गॉव-- खेडा गैर अहतमाल

परगना-- भुम्मा सम्भलहेडा तहसील-- जानसठ जिला-- मुजफ्फरनगर

खातेदार का नाम,पितृनाम और निवास स्थान	खातेदार का वर्ग	खेतों की खसरा संख्या	एकडों या प्रामाणिक बीधों में क्षेत्रफल	लगान या मालगुजारी	भौमिक अधिकार की समाप्ति का कारण
1	2	3	4	5	6
सूरत सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम रामराज परगना भुम्मा सम्भलहेडा तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर	1--क	5म 9म 10 11 12 15/3 42/1 45	0.356है0 4.363है0 0.522है0 0.891है0 0.318है0 11.456है0 5.059है0 2.571है0	319.30	खातेदार के नाम के कोई व्यक्ति ग्राम रामराज अथवा आस-पास के क्षेत्र में नहीं रहता हैं और न ही कभी देखा गया हैं। उक्त व्यक्ति अपने नाम पर अंकित भूमि पर कृषि कार्य नहीं कर रहा है और न ही इनका कोई वारिस है । तथा उक्त व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा है ।

न्यायालय की मुहर

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
दिनॉक: 30.04.2013

प्रतिलिपि :--

1-- तहसीलदार जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार तामील कराये तथा व्यापक प्रचार प्रसार व मुनादी आदि की कार्यवाही के उपरान्त अपनी तामीली आख्या नियत दिनॉक से पूर्व प्रस्तुत करें।

2-- अध्यक्ष/सचिव, भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम खेडा गैर अहतमाल को नियत दिनॉक पर साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
उप जिलाधिकारी जानसठ
30.4.2013

सत्य प्रतिलिपि

श्रीमान जी

ग्राम खेड़ा गैर अहतमाल गैर आबाद होने के कारण ग्राम जलालपुर नीला/नेमा गाँव में जाकर खेड़ा गैर अहतमाल के भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष/प्रधान को एक किता नोटिस देकर ता० की सूचना दे दी है/ वह एक किता नोटिस जलालपुर नीला के स्कूल गेट पर प्रतिस्थापित कर दिया है

सुरेन्द्र कुमार

11/5/13

वह श्रीमान जी ग्राम रामराज में जाकर सूरतसिंह S/o अमरसिंह को तलाश करने पर ग्राम वासीयों ने बताया कि इस नाम वलदियत का कोई व्यक्ति ग्राम वह आस पास नहीं रहता है/ वह हल्का लेखपाल को नोटिस की ता० की सूचना दे दी है

सुरेन्द्र कुमार

नि०प्र०
श्रीमति सुखबीरी देवी
प्रधान
... पुर नीला
वि० ख० जानसठ (मु०नगर)

(सूचना) (दिया)

11/5/13

गं० कमलसिंह
S/o
शंकर

गं० राजाराम S/o नौबहार

उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट
न्यायालय
जानसठ (मुजफ्फरनगर)

श्रीमान जी
श्री सुरेन्द्र कुमार अमीन
की रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

नायब नाजिर
जानसठ (मु० नगर)
15/5/13